



टी बोर्ड भारत

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700 001

दिनांक 22.01.2025

कार्यालय आदेश सं 02/2025

कार्यालय आदेश संख्या 02/2022 दिनांक 28.01.2022 के क्रम में, टी बोर्ड उपनियम 1955 के उपनियम 45 और 46 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड के कार्य की अनिवार्यताओं को देखते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने श्री हेमचंद अग्रवाल, कारखाना सलाहकार अधिकारी के पक्ष में निम्नलिखित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां इस शर्त के अधीन सौंप दी हैं कि वह उस कार्यालय का अग्रिम लेखा बनाए रखेंगे और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम 1954, टी बोर्ड उपनियम 1955 के प्रावधानों और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णयों का भी पालन करेंगे:-

1	किसी एक मद (विकास कार्य के अलावा) पर 5000/- रुपये तक के व्यय को मंजूरी देना।
2	प्रत्येक मामले में 6000/- रुपये से अधिक राशि के चेक पर हस्ताक्षर करें (विकास कार्य के अलावा)
3	अग्रिम राशि 4000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (विकास कार्य के अलावा)
4	जब भी आवश्यकता हो, बोर्ड के कार्यालय परिसर/अतिथि गृहों आदि के संबंध में किराए, चाय/नगरपालिका/जल कर प्रभार, बिजली/टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए सटीक राशि की सीमा तक एकल चेक पर हस्ताक्षर करें।
5	स्वयं को छोड़कर, बोर्ड के पालमपुर से जुड़े सभी संविदा कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष में टीए/एलटीसी अग्रिम स्वीकृत करना।
6	स्वयं को छोड़कर बोर्ड के पालमपुर से जुड़े सभी संविदा कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों के दौरा कार्यक्रम को अनुमोदित/अनुशंसित करना।
7	बोर्ड के पालमपुर से सम्बद्ध सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के लिए (विशेष अवकाश को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत करना, जिसमें स्वयं को छोड़कर सभी संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

वितरण:-

1.	श्री हेमचंद अग्रवाल, कारखाना सलाहकार अधिकारी टी बोर्ड, पालमपुर	
2	निदेशक चाय विकास	
3	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4	लेखा अधिकारी (प्र) [जेएजी/टीसी]	
5	उपाध्यक्ष/सचिव के नि.सह	
6	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
7	टीबीईए	
8.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ सं 7(1)/स्था/2019/पार्ट-III/